मुख्य मंत्री परिवार समृद्धि योजना में लाभार्थी के पंजीकरण बारे CSC के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

CSC की प्रमुख जिम्मेंवारियां :—

- हरियाणा की जनता को MMPSY योजना की पात्रता, आवश्यक कागजात और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अवगत/मार्गदर्शन देना है और पात्र लाभार्थी परिवार को इस योजना में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करना है
- CSC द्वारा पात्र लाभार्थी परिवार को इस योजना में पंजीकरण के लिए MMPSY पोर्टल पर लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों का विवरण स्कीम वाईज प्रस्तुत किए गए कागजात अनुसार करना है।
- पात्र लाभार्थियों का मानधन खाता भी बनाया जाना है (यदि पहले से नहीं बनाया गया है) और सुनिश्चत करें कि मानधन पोर्टल और MMPSY पोर्टल पर दर्ज किए गए लाभार्थी का विवरण में कोई त्रुटि/गल्ती नहीं है।
- पात्र लाभार्थी का MMPSY पोर्टल पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में प्रजीकृत करते समय CSC द्वारा सुनिश्चत किया जाना है कि लाभार्थी के बैंक खाता पासबुक में PMJJBY के प्रीमियम के लिए 330/- रूपये और PMSBY के प्रीमियम के लिए 12/- रूपये की कटौती का रिकार्ड है या नही।
- भरे हुए MMPSY फार्म का प्रिंट—आउट लेकर लाभार्थी परिवार को दें और उसी समय चैक करने को कहें कि प्रिन्टिड फार्म में लाभार्थी द्वारा दी गई सभी जानकारी सही प्रकार से एन्टर हुई है। तदपश्चात लाभार्थी प्रिन्टिड फार्म को हस्ताक्षर करते हुये वापिस CSC में जमा करवायेगा। भौतिक रूप से हस्ता़क्षरित दस्तावेज को MMPSY पोर्टल पर CSC द्वारा अपलोड किया जायेगा।
- नागरिक को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) ई—कार्ड का प्रिंट—आउट प्रदान करें।

CSC द्वारा किए जाने वाले कार्य की विस्तृत जानकारी :—

चरण 1: आवश्यक कागजात के लिए पूछें

CSC द्वारा पात्र लाभार्थी परिवार से निम्नलिखित दस्तावेज/जानकारी मांगेगा :

क) परिवार पहचान पत्र संख्या (यदि उपलब्ध हो तो)

ख) परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड (अनिवार्य)

ग) MMPSY के लिए पात्र परिवार के सभी सदस्यों की बैक खाता पासबुक।

घ) सभी पात्र परिवार के सदस्यों की मानधन आईडी।

ड) PMJJBY और PMSBY के तहत पंजीकरण की पुष्टि करने के लिए लाभार्थी की बैंक पासबुक में PMJJBY के प्रीमियम के लिए 330/- रूपये और PMSBY के प्रीमियम के लिए 12/- रूपये की कटौती का रिकार्ड है या नही। यदि नहीं, तो CSC लाभार्थी को बैंक से सम्बन्धित बीमा स्कीम में

पंजीकरण करवाने के लिये प्रोत्साहित करेगा। स्कीम लेने के बाद ही MMPSY पोर्टल में पंजीकरण होगा।

CSC अगले चरण में तभी आगे बढ़ेगा, जब आवेदन के समय पात्र लाभार्थी परिवार द्वारा दस्तावेजों/सूचनाओं के उपरोक्त सेट प्रदान किया गया हो।

चरण 2: परिवार विवरण फॉर्म भरें/अपडेट करें

क) यदि पात्र लाभार्थी परिवार CSC को अपना परिवार पहचान नंबर उपलब्ध करवाता है तो CSC निम्नलिखित कार्यवाही करेगाः

1. CSC "Family Details Form" में परिवार पहचान नंबर एन्टर करेगा। इसके बाद सिस्टम द्वारा परिवार की मौजूदा जानकारी को फार्म में अपने आप भर दिया जायेगा।
2. तदपश्चात् CSC पात्र लाभार्थी परिवार से प्राप्त कागजात के अनुसार फॉर्म में मांगी गई जानकारी जानकारी को edit/update करेगा।

ख) यदि पात्र लाभार्थी परिवार के पास अपना परिवार पहचान पत्र नंबर नही है तोः

1. CSC MMPSY पोर्टल पर परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर एन्टर करेगा। यदि किसी सदस्य का आधार नम्बर किसी परिवार पहचान नम्बर से लिंक पाया जाता है तो बिन्दु 2 (क) के अनुसार कार्य करना हैं।
2. अगर परिवार के किसी सदस्य का आधार नम्बर किसी परिवार पहचान पत्र से लिंक नहीं होता तो MMPSY का खाली फार्म पोर्टल पर दिखाया जाएगा। CSC पात्र लाभार्थी परिवार से प्राप्त कागजात के अनुसार फार्म में मांगी गई जानकारी update करेगा।

चरण 3: सदस्य वार योजनाओं का चयन करना

1. परिवार संबंधी जानकारी update करने के बाद CSC सदस्य वार योजनाओं का चयन करेगा। CSC यह चयन परिवार के सदस्य के बताए अनुसार ही करेगा।
2. इसी के साथ ही CSC परिवार के हर उचित सदस्य का बैंक खाता नम्बर और मानधन आई.डी. भी पोर्टल पर भरेगा।
3. जिस परिवार के पास परिवार पहचान पत्र नम्बर नहीं है, तो पोर्टल से उसे जारी कर दिया जायेगा। जोकि CSC सम्बन्धित पात्र परिवार को सूचित करेगा।

चरण 4: मानधन ID बनवाना।

यदि पोर्टल द्वारा परिवार के सदस्य का मानधन आईडी भरने बारे संकेत दिया जाता है, और उस सदस्य का मानधन आईडी नहीं बना है तब CSC द्वारा उस सदस्य को MMPSY में पंजीकृत कराया जाएगा और प्राप्त MMPSY आईडी को फार्म में भरा जाएगा।

चरण 5: डाटा की शुद्वता सुनिश्चित करना।

क) CSC द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि MMPSY पोर्टल पर फार्म मे भरा गया डाटा लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो और सूचनाओं के अनुसार सही भरा गया है। इस सम्बध में

CSC सम्बन्धित चैक बॉक्स पर क्लिक करके यह घोषणा करेगा कि आवेदक का भरा हुआ डाटा पूर्ण रूप से सही है।

ख) उपरोक्त घोषणा के बाद CSC ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट आउट लेगा व लाभार्थी से हस्ताक्षर करवायेगा कि प्रिन्टिड फार्म में लाभार्थी द्वारा दी गई सभी जानकारी सही प्रकार से एन्टर हुई है।

ग) CSC उपरोक्त फार्म को स्कैन करके MMPSY पोर्टल पर अपलोड करेगा व पावती लाभार्थी को देगा।

चरण 6: आवेदन MMPSY पोर्टल पर जमा करना।

क) स्कैन कॉपी MMPSY पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही आवेदक का ऑनलाईन आवेदन पूर्ण माना जायेगा।

ख) CSC द्वारा पात्र लाभार्थी परिवार को सूचित किया जायेगा कि भविष्य में MMPSY योजना के आवेदन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी / पूछताछ के लिये लाभार्थी परिवार पहचान नम्बर का प्रयोग करेगा।

चरण 7: परिवार पहचान पत्र (ई–कार्ड) के प्रिन्ट करना।

जैसे ही आवेदक का ऑनलाईन आवेदन पूर्ण होता है, CSC द्वारा MMPSY पोर्टल पर प्रिन्ट ई–कार्ड बटन को क्लिक करके लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र (ई–कार्ड) की कॉपी प्रिन्ट आउट करके देगा।